झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या–11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध–04/18......[illegible]..../रा०, राँची, दिनांक–25 [illegible]

विभागीय अधिसूचना संख्या–11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध–04/18–30/रा०, दिनांक–03.01.2020 द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) संख्या–37, सन् 1948) के तहत् जनगणना नियम, 1990 के नियम–8(iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना–2021 के लिए झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों यथाः जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत/छावनी परिषद/वार्ड/पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक–31.12.2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किये जाने से संबंधित निर्णय अधिसूचित किया गया था।

2 – भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के अर्द्ध सरकारी पत्रांक–9/33/2019-CD (CEN), दिनांक–28.07.2020 के आलोक में COVID-19 के संक्रमण के कारण उक्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्त्तन की तिथि 31.12.2020 तक विस्तारित की जाती है। अर्थात् दिनांक–31.12.2020 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्त्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जायेगा। दिनांक–31.12.2020 तक प्रशासनिक इकाइयों में होने वाले परिवर्त्तन से संबंधित अधिसूचना की प्रति संबंधित उपायुक्त/विभाग, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड राँची को उपलब्ध करायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24/08/2020

(कमल किशोर सोन)

सरकार के सचिव–सह–

राज्य समन्वयक (जनगणना)